संचालक बोर्ड नहीं होने से प्रशासक की मनमानी

विद्यालय के गेट पर लटका रहा ताला

धारनाकला नवभारत। लम्बे अर्से से सहकारिता के चुनाव न होने की स्थिति मे सहकारिता मे समितियो का संचालन लम्बे समय से प्रशासक के हाथो मे है और एक ही समिति नही अपितु दर्जनो समितिया प्रशासक के इर्द-गिर्द घूमते नजर आ रही है कुछ समितियो मे प्रशासक की भूमिका को लेकर भी नये नये मामले सामने आ रहे ऐसे ही अनेको मामले ऐसे है जो दैनिक वेतन भोगी कर्म चारी के रूप मे सहकारी समितियो मे की गई भर्ती से जुडे है जिन्हे प्रशासक की मेहरबानी से नियम विरूद्ध तरीके से लाभ पहूचाने से जुडा है

जहा तक सहकारिता से जुडे नियमो की बात करे तो सहकारी समितियो 2013 के बाद दैनिक वेतन भोगी कर्म चारियो की नियुक्ति को लेकर नियम सख्त है जिसमे सामान्यत: बिना स्वीकृत पद बिना बजट और बिना भर्ती प्रक्रिया [ओपन विज्ञापन] के की गई नियुक्तिया अवैध मानी जाती है किन्तु सहकारिता विभाग मे नियम विरूद्ध तरीके से की गई नियुक्तियों पर ही प्रशासक मेहरबान नजर आ रहे है इसके अतिरिक्त ऐसी समितिया जिनकी अनियमितताओ से जुडी शिकायत की जांच इनके द्वारा की जा रही है उन शिकायतो पर जांच उपरांत कार्यवाई तो दूर समितियो को गर्त मे ले जाने वाले कर्म चारियो को ही अभय दान देने मे कोई कसर नही छोड रहे है

नियमितिकरण को लेकर मच रहा बवाल

सहकारी समिति धारनाकला मे वैसे तो शासकीय नियमो के विपरीत अनेको नियुक्तिया हुई है और यह बात भी सामने आ रही है की 2013 के नियमो के बाद अगर किसी समिति द्वारा अपनी मर्जी से बैकडोर एंट्री की गई है तो उसे अवैध माना जाना चाहिये किन्तु सहकारी समिति धारनाकला मे मात्र एक ही कर्मचारी की नियमिति करण की बात सामने आई और उसे लाभ पहूचाने का मामला सामने आया तो अन्य दैनिक वेतन भोगी के रूप मे लगे कर्म चारियो के होश उड गये जबकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले [जैसे ए उमा रानी बनाम रजिस्ट्रार सहकारी समितियो के अनुसार अवैध रूप से नियुक्त दैनिक वेतन भोगीयो को नियमित करने का कोई अधिकार नही है तथा 2013 के बाद नियुक्ति विहित प्रक्रिया नियम 1962 सहकारी समिति अधिनियम का पालन किये बिना हुई है तो तो वह अवैध है साथ ही यह भी तर्क है की यदि वे नियमित कार्य वर्षो से कर रहे है तो ऐसे व्यक्ति को शोषण के आधार पर राहत मिल सकती है किन्तु वैध नियुक्ति का दावा नही किया जा सकता किन्तु सहकारी समिति धारनाकला मे जो वर्षो से दैनिक वेतन भोगी के रूप मे कार्य कर रहे है वे तो नियमित की श्रेणी मे न आ पाये किन्तु लक्ष्मी की चमक के पीछे जरूर 2019 मे नियमो को ताक पर रखकर जिसकी दैनिक वेतन भोगी के रूप मे नियुक्ति हुई वह आज सहकारी समिति धारनाकला मे नियमित बताया जा रहा है और कब समिति मे नियमिति करण का प्रस्ताव होकर पास हो गया है यह जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है यही नही प्रशासक द्वारा अन्य कर्म चारी यो को दरकिनार कर लाभ भी पहूचा दिया गया वैसे सहकारी समिति धारनाकला के रिकॉर्ड मे मे कुल नौ कर्म चारी कार्यरत है किन्तु रिकार्ड के आधार पर जो पद दर्शाये गये है दर्शाये गये पदो के आधार पर समिति मे कार्य नही है और न ही करवाया जा रहा है यह भी मामला तब सामने आया जब अनुकंपा नियुक्ति मे लगे सहकारी समिति के कर्मचारी के द्वारा जिला कलेक्टर को शिकायत प्रेषित की गई जिसकी जांच भी प्रशासक के द्वारा करते हुऐ सेवा नियम के हवाले के साथ प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

कमीशन का खेल चर्चाओं में

यहा यह बताना भी लाजिमी है की जहा अनुकंपा नियुक्ति के रूप मे लगे कर्मचारी जब पदोन्नती की मांग करते है तो सेवानियम का हवाला देकर मांग अस्वीकृत कर दी जाती है ठीक इसके विपरीत दैनिक वेतन भोगियो को ही प्रशासक द्वारा कृपा करते हुऐ धान खरीदी मे धान खरीदी प्रभारी बनाकर लाखो करोडो से जुडी धान खरीदी सौपी जाती है और कमीशन के रूप मे लम्बी राशि वसूल की जाती है और आज तक जिन्होंने धान खरीदी की भेट नही दी उन्हे आदेशित कर दरबार सिवनी बुलाकर राशि की मांग की जाती है यह भी सामने आया था की धान खरीदी मे प्रशासनिक व्यय राशि जो हमाल मजदूरो को भुगतान की जाती है मे तक इनके द्वारा कमीशन को लेकर रोडा लगाया गया था यही कारण है की सहकारी समिति धारनाकला से जुडे धान खरीदी केन्द्र मे मजदूर तथा हमाल को भुगतान के लिये परेशान होना पड था अंदर की बात करे तो कर्मचारी भी परेशान है किन्तु डर के कारण विरोध भी नही कर पा रहे है और यह बात भी सामने आई है की उप आयुक्त सहकारिता सिवनी की कृपा द्रष्टि भी प्रशासक पर कुछ ज्यादा ही है यही कारण है की चर्चाओ मे माहिर प्रशासक को हटाने की कार्यवाई नही जा रही है.

अंतिम छोर रजरवाड़ा में पहुंची नवागत कलेक्टर

नेहा मीना की चौपाल, सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

घंसौर नवभारत। हाल ही में पदस्थापित कलेक्टर नेहा मीना ने शनिवार को घंसौर क्षेत्र का पहला दौरा कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखी। जनपद पंचायत घंसौर में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान बैठक में अधिकारियों की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में नजर आई। कलेक्टर के निर्धारित समय पर पहुंचने के बावजूद कई विभागों के अधिकारी बैठक शुरू होने के करीब एक घंटे बाद तक सभा कक्ष में नहीं पहुंचे।

जानकारी के अनुसार कलेक्टर सुबह लगभग 10:30 बजे ही जनपद पंचायत कार्यालय पहुंच गई थीं, जबकि कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनजाति कार्य विभाग, राजस्व विभाग, जल संसाधन विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी देरी से पहुंचे। कलेक्टर के अचानक निरीक्षण से कई विभागों में अफरा-तफरी का माहौल भी देखा गया, जो पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पेयजल, सड़क निर्माण सहित पंचायत स्तर पर संचालित निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। अधूरे कार्यों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा तय कर शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर अनियमितता या घटिया निर्माण पाए जाने पर जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। समीक्षा बैठक के बाद कलेक्टर जिले के अंतिम छोर में स्थित ग्राम पंचायत रजरवाड़ा पहुंचीं, जहां उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया।

चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और उन्होंने पेयजल संकट, जर्जर सड़क, राशन वितरण में अनियमितता सहित अन्य समस्याएं कलेक्टर के सामने रखीं। कलेक्टर ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से आमजन तक पहुंच सके।

एक नजर में

बिना कोचिंग के आंचल ने हासिल किये 94.8 प्रतिशत

सिवनी। केन्द्रीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड की कक्षा दसवी की छात्रा कुमारी ऑचल मिश्रा ने 94.8 प्रतिशत अंक हासिल कर अपने स्कूल और माता सहित अपने जिले का नाम रौशन किया है। परिजनो समेत शिक्षको ने आंचल मिश्रा के उज्जवल भविष्य की कामना की है।

नैतिक नागेश ने 94.20 प्रतिशत के साथ पाया प्रथम स्थान

घंसौर नवभारत। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा घोषित हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा जारी परीक्षा परिणाम में छात्र नैतिक नागेश पिता नंदराम नागेश माता

रंजीता नागेश निवासी घंसौर ने कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा में 94.20 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर विद्यालय, नगर एवं समाज का नाम रोशन किया है इसका श्रेय भावा एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल घंसौर के समस्त शिक्षक- शिक्षिकाओं माता-पिता को दिया है नैतिक के माता-पिता दोनों ही शासकीय शिक्षक शिक्षिका हैं जिनका स्नेह एवं उचित मार्गदर्शन से कामयाबी हासिल की है। नैतिक नागेश को विद्यालय परिवार, सामाजिकजनों एवं समस्त शुभचिंतकों ने बधाई प्रेषित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है।

रोशनी गुप्ता का सुयश, दसवीं में प्राप्त किए 95.8 प्रतिशत

गणेशगंज। शासकीय कन्या हाई स्कूल गणेशगंज की छात्रा रोशनी गुप्ता पिता राजा गुप्ता (शिक्षक) ने कक्षा दसवीं के परीक्षा परिणामों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 500 में से 479 अंको के साथ 95.8 प्रतिशत अंक अर्जित कर विद्यालय में द्वितीय स्थान हासिल किया है। रोशनी गुप्ता की मेहनत लगन से मिली सफलता के लिये उन्हें माता पिता परिवारजनों, स्कूल प्रबंधक व स्टाफ परिचितों ने बधाई शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का इलाज संभव : डॉ. इरटवार

नागपुर। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक दुर्लभ लेकिन बहुत ही दर्दनाक नसों से जुड़ी बीमारी है, जो चेहरे को प्रभावित करती है। इसमें चेहरे पर अचानक बहुत तेज दर्द होता है, जिसे दुनिया के सबसे तीव्र दर्दों में से एक माना जाता है। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, नागपुर के न्यूरोसर्जरी डायरेक्टर डॉ.संदीप इरटवार ने बताया कि ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक पुरानी दर्द की बीमारी है, जो चेहरे की ट्राइजेमिनल नस से जुड़ी होती है। यह नस चेहरे से जुड़ी संवेदनाएं दिमाग तक पहुंचाती है। इस बीमारी में चेहरे को हल्का-सा छूना जैसे दांत ब्रश करना या मेकअप लगाना भी अचानक तेज दर्द शुरू कर सकती हैं। पीड़ित लोगों को चेहरे में अचानक बहुत तेज और बिजली जैसे झटके वाला दर्द महसूस होता है। यह दर्द कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक रह सकता है और अक्सर चेहरे के एक ही तरफ होता है। यह दर्द रोज़मर्रा के कामों से शुरू हो सकता है, जैसे खाना खाना, चबाना, बात करना, शेव करना या चेहरा धोना। उन्होंने बताया कि एमआरआई स्कैन इस बीमारी की पुष्टि करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे यह पता चलता है कि नस पर दबाव तो नहीं है या इसके पीछे कोई अन्य कारण जैसे ट्यूमर या मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो नहीं है।

उपचार के विकल्प

सबसे पहले दवाइयों से इलाज शुरू किया जाता है। इसमें एंटी-कन्वल्सेंट दवाएं दी जाती हैं, जो नसों की असामान्य गतिविधि को कम करने में मदद करती हैं, जबकि कुछ मामलों में मसल रिलैक्सेंट भी दिए जा सकते हैं। अगर दवाइयों से आराम नहीं मिलता, तो कुछ छोटे और कम जटिल प्रोसीजर किए जा सकते हैं। जैसे नर्व ब्लॉक, रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन और बैलून कंप्रेशन, जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं। कुछ गंभीर मामलों में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इसमें माइक्रोवैस्कुलर डिकंप्रेशन किया जाता है, जिसमें नस पर पड़ रहे दबाव को कम किया जाता है। इसके अलावा स्टीरियोटैक्टिक रेडियोसर्जरी भी एक विकल्प है, जो बिना ऑपरेशन के रेडिएशन के जरिए इलाज करता है।

धूमधाम से मनाई गई सेन जयंती, निकली वाहन रैली

सिवनी नवभारत। नगर में सेन समाज द्वारा संत शिरोमणि सेन महाराज की 726वीं जयंती हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर में भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया जिसमें समाज के युवा, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल तक पहुंची, नेहरू रोड में श्रीवास परिवार द्वारा रैली पर पुष्प वर्षा की गई एवं दुर्गा चौक में सेन परिवार द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई जहां पूरे कार्यक्रम का आयोजन गरिमामय वातावरण में किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य आयोजन कृष्णम गार्डन में संपन्न हुआ। यहां समाज के वरिष्ठजनों एवं मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। अतिथियों ने शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर उनका अभिनंदन किया।

कार्यक्रम में सिवनी विधायक दिनेश राय, भाजपा जिला अध्यक्ष मीना बिसेन नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती डॉली डागौर जिला वनोपज संघ के अध्यक्ष घनश्याम सराठे मुकेश सेन अध्यक्ष किशोर कल्याण विभाग सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में सेन महाराज के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने समाज में शिक्षा, एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

कार्यक्रम संयोजक एवं नगर अध्यक्ष हेमेंद्र नाथ श्रीवास (बॉबी) ने अपने संबोधन में समाज के लोगों से शिक्षित और संगठित होने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है और युवाओं को आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए।

युवक ने लगाई फांसी

छपारा। नगर के शिवाजी वार्ड 15 गोकलपुर में 16 अप्रैल दिन गुरुवार की देर शाम लगभग साढ़े सात बजे मोहल्ला में सनसनी फ़ैल गई जब फांसी पर झूलते हुए राज मिस्त्री कार्य करने वाले कृष्ण कुमार भारती पिता नारायण भारती उम्र 45 वर्ष गोकलपुर निवासी को उनके गोकलपुर स्थित स्वयं के मकान में रिश्तेदारों ने देखा और छपारा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंच पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया गया जहां दुसरे दिन 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को सुबह मृतक के परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम एवं पंचनामा प्रक्रिया के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया।

22 वर्षीय युवक ने भी लगाई फांसी

उगली। थाना उगली के अंतर्गत खुरसरा ग्राम के होलू टोला में गत दिवस एक लड़के ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया,पुलिस थाना प्रभारी से प्राप्त जानकारी अनुसार उप निरीक्षक डी आर शरणागत से प्राप्त जानकारी के अनुसार ए एस आई सुमेर चंद ऊइके घटना स्थल पर पहुंच कर मृतक का पंचनामा बनाया,और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया किन कारणों से युवक ने यह कदम उठाया जांच का विषय है। मृतक का नाम प्रकाश पिता रामकुमार सरयाम उम्र 22 है.

भीमगढ़ क्षेत्र के समीप पहाड़ी में लगी आग

छपारा नवभारत। बढ़ते तापमान के साथ दिनों दिन आग का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। अभी गत दिनों नरवाई की आग से छपारा नगर के नजदीक प्लास्टिक रिसाइकिल की फैक्ट्री जल कर खाक हो गई तो वही कई किसानों की साल भर की मेहनत भी राख के ढेर में बदल गई। वहीं शनिवार शाम को छपारा जनपद क्षेत्र अंतर्गत भीमगढ़ गांव के नजदीक के जंगलों में आग लगने की खबर आ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार भीमगढ़ क्षेत्र के भूमका बाबा के नजदीकी ग्राम गंगई खास के सामने स्थित पहाड़ी के जंगल में लगी आग यह जंगल में स्थित आदिवासियों के पवित्र स्थल गांगी राजा की ओर तेजी से बढ़ रही है। वहीं सवाल उठ रहा हैं कि वन विभाग इस बढ़ते तापमान में हर तरफ सूखे झाड़ पत्तों पर आग लगने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती हैं, ऐसी स्थिति में अपने जंगलों की कैसे सुरक्षा करता है, साथ ही जो ग्राम वन समिति हैं वह जमीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं या नहीं इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

नपा उपाध्यक्ष डॉली अमित डागोर के निवास पहुंचे सोलंकी व रोहाणी

सिवनी नवभारत। अंबेडकर जयंती के अवसर पर सिवनी में छिंदवाड़ा संभाग के प्रभारी एवं प्रदेश महामंत्री सुमेर सिंह सोलंकी, कैंट विधायक व भाजपा जिला प्रभारी अशोक रोहाणी का सिवनी आगमन हुआ था जो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान वह नगर पालिका सिवनी उपाध्यक्ष श्रीमति डॉली अमित डागोर के निवास पर पहुंचे। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन, पूर्व जिला अध्यक्ष आलोक दुबे, प्रेम तिवारी, पूर्व विधायक एवं पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश दिवाकर, पूर्व विधायक राकेश पाल, अशोक तेकाम, पूर्व जिला महामंत्री अजय डागोरिया, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष नानू पंजवानी, राष्ट्रीय नेता दीवान शाद अली, संजय खनडाइत, आशीष मानाठाकुर, शिव सनोडिया, भुनेश कुल्हाड़े, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला प्रभारी मोहम्मद फैसल खान, फरहान खान, विक्रांत दुबे, श्रीमती डॉ. अनीता राठौर एवं उर्मिला उइके सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे जिनका डागौर परिवार ने स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पार्टी की मजबूती, आगामी गतिविधियों एवं जनसंपर्क को लेकर विचार-विमर्श किया गया। अपने निवास पर पहुंचने पर श्रीमति डॉली अमित डागौर ने भाजपा के सभी नेताओं के प्रति आभार भी जताया।

छात्रों को खेल से जोड़कर किया जा रहा स्वास्थ जीवन का उन्नयन : निलेश

विद्या भारती के ग्वालियर में प्रांत खो खो प्रतियोगता में सरस्वती विद्या मंदिर कोटरा भोपाल बालिका टीम की कप्तान संस्कृति कश्यप के नेतृत्व में टीम खेलेगी

सिवनी नवभारत। विधा भारती अखिल भारती शिक्षा संस्थान दिल्ली के बेनर तले सरस्वती विधा प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश के तत्वाधान में 37वा मध्यप्रदेश प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगता क आयोजन ग्वालियर में आयोजित हो रहा है जो 17 अप्रेल से 19 अप्रेल तक आयोजित होगा इस आयोजन में सरस्वती विधा मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल कोटरा भोपाल कि बालिका खो खो टीम भी शामिल हो रही है जहां संस्कृति कश्यप कि कप्तानी और नेतृत्व पर अपना कुशल प्रतिभा क प्रदशर्न विद्यालय प्राचार्य विनय मिश्रा के मार्गदर्शन और कोच निलेश शिखबानियां में करनें जा रही है। कोच निलेश शिखबानियां ने कहा कि इस बालिका टीम में संस्कृति कश्यप के नेतृत्व में उनकी टीम में मनोग्या ,कविता ,संध्या ,पलक ,रोशनी और दर्शाना प्रतिभागी बहने है इनके साथ बालक (भैया)कि टीम भी शामिल है।

सरस्वती विद्या मंदिर कोटरा भोपाल के प्राचार्य ने कहा संस्थान क उद्देध्य है कि शिक्षा अध्यनरत हर भैया -बहनों (छात्र -छात्रओ)क सर्वांगीण विकास हो और खेल के साथ समाज और देश के प्रति स्नेह भाव जनमित हो और अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को समझकर जीवन के मूल्यों और कर्तव्यों क निर्वाहन करें ये संस्था विद्याथियों के शिक्षा ,संस्कार और आत्म बल को प्रोत्साहित कर अपने परिवार ,समाज और देश मूल कर्तव्यों के प्रति भाव जनमित कर उनके जीवन को निखरती है।

सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी लक्ष्मी कश्यप ने कहा जीवन में बच्चों को स्कूल और कालेज द्वारा होने वाले खेल ,सामाजिक गतिविधयों से होने वाले आयोजनों पर अभिभावकों को अपने बच्चों के अवश्य ये अवसर देना चाहिये ।

फैसला सत्य प्रताड़ित हो सकता है परास्त नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की रिक्खी लाल बकोड़े की याचिका

घंसौर का तालाब शक्तिसिंह की निजी भूमि : हाईकोर्ट

घंसौर नवभारत। यह कहावत है सत्य प्रताड़ित हो सकता है परास्त नहीं जो अब घंसौर के शक्ति सिंह से जुड़े मामले में चरितार्थ होते हुए नजर आ रही है मुख्यालय घंसौर में विगत कई वर्षों से तालाब का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है यह मुद्दा कई दिनों से राजनैतिक रूप से भी गर्माया रहा। कहा जाता है कि राजनैतिक और सामाजिक स्तर पर शक्ति सिंह के राजनैतिक धुर विरोधियों ने समय-समय पर यह मुद्दा उठाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया बल्कि उनकी पारिवारिक विरासत तालाब एवं कृषि भूमि के मालिकाना हक एवं उपयोग को लेकर सवाल उठाये।

जानकारी के अनुसार कुंवर शक्ति सिंह और संग्राम सिंह के आधिपत्य और मालिकाना हक के तालाब एवं कृषि भूमि को सार्वजनिक तालाब व सार्वजनिक भूमि घोषित करने की मांग आधारित एक याचिका शक्ति सिंह के चिरप्रतिद्वंदी कहे जाने वाले रिक्खी लाल बकोड़े ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर (हाईकोर्ट) में दायर किया था।

विगत 10 अप्रैल 2026 को माननीय हाईकोर्ट की डबल बैंच ने रिक्खी लाल बकोड़े की याचिका को खारिज कर दिया तथा हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में अपने आदेश में कहा है कि कथित तालाब कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं, बल्कि एक निजी भूमि है, इसके अतिरिक्त, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादियों के बीच मुकदमेबाजी चल रही है और अन्य संपत्तियों के संबंध में भी कुछ कार्यवाही लंबित हैं चूंकि याचिकाकर्ता का निजी प्रतिवादियों के साथ विवाद (मुकदमेबाजी) चल रहा है और उसने याचिका में स्पष्ट रूप से यह गलत तथ्य प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन तालाब सार्वजनिक भूमि पर स्थित है, परंतु ऐसा नहीं है इसलिए हम इस वर्तमान याचिका को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, तथा हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में गलत तथ्य प्रस्तुत किया है कि तालाब सार्वजनिक भूमि है जबकि यह एक निजी भूमि है जो शक्ति सिंह और संग्राम सिंह के पूर्वजों से उनके हक व अधिकार में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। बताया गया है कि याचिकाकर्ता रिक्खी लाल बकोड़े ने शक्ति सिंह और संग्राम सिंह को 16.65 एकड़ भूमि का अतिक्रमणकर्ता बताते हुए एक अवधि के भीतर अतिक्रमण हटाने तथा तालाब के स्वरूप में बदलने का आदेश देने की गुजारिश हाईकोर्ट से किया था जिसे माननीय न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ना केवल खारिज कर दिया बल्कि याचिका में प्रस्तुत जानकारी को ही गलत करार दे दिया।

कहा जा रहा था कि शक्ति सिंह एवं संग्राम सिंह के तालाब एवं कृषि भूमि को याचिकाकर्ता रिक्खी लाल बकोड़े लंबे समय से सार्वजनिक घोषित करवाने लगा हुआ था हाईकोर्ट में प्रतिवादीगण संग्राम सिंह एवं शासन प्रशासन के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को आखिरकार हाईकोर्ट ने सही ठहराया। प्रतिवादीगण शक्ति सिंह और संग्राम सिंह की ओर से अधिवक्ता उमाशंकर तिवारी एवं अभिनव कुमार तिवारी ने पक्ष रखा।

न्यायालय नायब तहसीलदार लखनादौन
वृत आदेगांव जिला सिवनी (म.प्र.)
क्रमांक/414/प्र.ना.तह./2025-26
लखनादौन, दिनांक :- 17/04/2028

ईश्तहार

घोटेलाल कहार पिता स्व. धनाराम जाति ढीमर निवासी बीबी रा.नि.मं. आदेगांव तहसील लखनादौन जिला सिवनी (म.प्र.).....आवेदक

विरूद्ध

सर्वसाधारण ..... अनावेदक

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक छोटेलाल कहार पिता स्व. घनाराम जाति ढीमर निवासी बीबी तहसील लखनादौन जिला सिवनी के द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109/110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि मौजूदा ग्राम बीबी. प.ह.नं. 66 राजस्व निरीक्षक मण्डल आदेगांव स्थित भूमि ख.नं. 125/1, 225 रकबा 0.04, 0.21 हे. भूमि का वसीयत के आधार आवेदक के पक्ष में नामांतरण किये जाने की मांग किया है।

उक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रकरण क्रं. 0382/अ-6/2025-26 इस नायालय में विधाराधीन है। प्रकरण में सर्वसाधारण अनुपस्थित एवं मृत होने की दशा में प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु ईश्तहार प्रकाशन किया जा रहा है। अत: सर्वसाधारण को दावा आपत्ति हेतु दिनांक 27/04/2026 नियत की गई है। नियत दिनांक पर अनुपस्थित की दशा में प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

जारी दिनांक :- 17/04/2028

नायब तहसीलदार
लखनादौन आदेगांव जिला सिवनी